8 — (62) 64

रीवा कैम्प

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

टिकट उपलब्ध होने पर पल्ला किया जावेगा

R - 2256 - III/13

फूलसुआ पत्नी श्री राम लाल ब्राम्हण निवासी ग्राम टौंकी तहसील त्योंथर

जिला रीवा (म0प्र0) -----निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकृष्ण पिता श्री सूर्यमणि
2. परमानन्द पिता सूर्यमणि
3. मणिशंकर पिता सूर्यमणि
4. मु0 जुग्गी बेवा सूर्यमणि

सभी निवासी ग्राम टौंकी तहसील त्योंथर जिला रीवा (म0प्र0)

-----गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय रीवा प्रकरण क्रमांक 173/अ-27/निगरानी/11-12 आदेश दिनांक 29-4-2013.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

मान्यवर,

निगरानी प्रकरण के तथ्य-

निगरानीकर्ता ग्राम टौंकी तहसील त्योंथर जिला रीवा की निवासी

(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग - 2256 - III /13 जिला - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06/5/19	इस प्रकरण में दिनांक 21/6/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 173/अ-27/निग./2011-12 में पारित आदेश दिनांक 29/4/2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अत: नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29/4/2019 को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 6/5/19 सदस्य	